रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1975/पौष 11, 1896

No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1975/PAUSA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1975

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of mill-made/handloom cotton blouses, shirts, jackets and bedlinen for export to Sweden during the period from 1st January, 1975 to 28th February, 1975.*

No. 1-ETC(PN)/75.—The scheme relates to the export of the items detailed below from India to Sweden for the period 1st January, 1975 upto 28th February, 1975.

Swedish Tariff Classification No.	Description
61.02.505	Blouses, not knitted or crocheted, wholly or mainly of cotton, women's and girl's wear.
61.03.105	Shirts, not knitted or crocheted, wholly or mainly of cotton, men's and boys' wear.
61.01. ex 405 61.02, ex 105	Jackets, not knitted or crocheted, wholly or mainly of cotton, men's and boys' and women's ane girls' wear.
62.02.105	Bed linen, wholly or mainly of cotton.

2. Export of millmade/handloom cotton blouses, shirts, jackets and bedlinen will be allowed under free licensing procedure and quotas shall be alloted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (in the office of the Jt. CCI&E, Bombay) or its authorised representatives at Delhi, Ahmedabad, Calcutta, Madras, and Cochin by way of endorsement on shipping bills on first-come-first-served basis. Licensing endorsement against such allotments shall be made by the concerned export control authorities at the port shipments on such terms and conditions as may be notified by the Cotton Textiles Export Promotion Council on the recommendation of EEC-Austria-Sweden Licensing Advisory Committee including conditions relating to realisation of minimum f.o.b. prices as decided by the said Committee from time to time. As soon as the ceiling for any of the items under restraint is reached, the allotment of quotas thereunder shall be stopped forthwith.

3. The procedure for obtaining the quotas endorsement on the shipping bills and the Export Certificate, shall be as follows:—

"The exporters shall be required to submit shipping bills duly noted in the customs alongwith other shipping documents to the Cotton Textiles Export Promotion Council in Bombay and upcountry ports for issue of quota endorsement and Export Certificate. The authorised representative of the Council will give the quota endorsement on the shipping documents and also issue an Export Certificate to the exporter concerned. This Export Certificate will be required to be sent by the exporters to his importer in Sweden in order to obtain clearance of the consignment at the destination. In all the cases, the exporter shall prepare an extra copy of the shipping bills which will be retained by the authorised representative of the Cotton Textiles Export Promotion Council at the time of issue of the quota endorsement and Export Certificate."

4. Quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the quota issuing authority viz. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

5. A non-refundable charge of Rs. 10/- per 1000 kgs/1000 pcs. will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.

6. All shippers shall have to submit monthly reports to the Coton Textiles Export Promotion Council, Bombay, giving details of the shipments against individual licences issued to hem. These statements should reach the Council by the 10th of the following month.

7. The EEC/Austria/Sweden Textiles licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out the operation of the scheme and (d) make such changes in the scheme as they deem fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time inter alia, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reason.

8. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"Engineering Centre"

5th floor, 9, Mathew Road,

Bombay 400004.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1975

विषय.—1 जनवरी, 1975 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान स्वीडन को निर्मित/हाथ करघा सूती ब्लाउजों, कमीजों, जैकटों तथा लिनन चादरों के निर्यात के लिये लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित योजना ।

सं० आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—यह योजना 1 जनवरी, 1975 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि के लिये भारत से स्वीडन को नीचे उल्लिखित मदों के निर्यात से संबंध रखती है :—

स्वीडन टैरिफ विशिष्टिकरण संख्या	विवरण
61.02.505	स्त्रियों और लड़कियों के पहनने के लिये पूर्णयता या मुख्यतया बिना कढ़ाई और बुनाई की हुई सूती ब्लाउजें ।
61.03.105	पुरुषों तथा लड़कों के पहनने के लिये पूर्णयता या मुख्यतया बिना कढ़ाई और बुनाई की हुई सूती जैकटे ।
61.01 ई एक्स 405 61.02.ई एक्स 105	पुरुषों एवं लड़कों और स्त्रियों तथा लड़कियों के पहनने के लिये पूर्णतया या मुख्यतया बिना कढ़ाई और बुनाई की हुई सूती जैकटें ।
62.02.105	पूर्णयता या मुख्यतया सूती लिनन चादरें ।

2. मिल/निर्मित/हाथ करघा सूती ब्लाउजों, कमीजों, जैकटों और लिनन चादरों का निर्यात स्वतंत्र लाइसेंस क्रियाविधि के अन्तर्गत स्वीकृत होगा और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, बम्बई में) या इसके दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन में प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पहले आये सो पहले पाए के आधार पर पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन कर अलग अलग पोतलदानों के मद्दे कोटे आबंटित किये जायेंगे । ऐसे आबंटनों के मद्दे लाइसेंस पृष्ठांकन, पोतदान के पतन पर सम्बद्ध निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा उन नियमों और शर्तों के अनुसार किये जायेंगे जो ईईसी-आस्ट्रिया–स्वीडन सलाहकार समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अधिसूचित की जाएं और इनमें उक्त समिति द्वारा समय समय पर यथा निश्चित न्यूनतम जहाज पर निशुल्क कीमतों की वसूली से संबंधित शर्तें भी शामिल होंगी । जैसे ही प्रतिबंधन के अन्तंगत मदों में से किसी एक मद की उच्चतम सीमा पहुंच जाती है तो उसके अन्तर्गत कोटे के आबंटन तुरन्त ही रोक दिये जायेंगे ।

3. पोतलदान बिलों और निर्यात प्रमाणपत्रों पर कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित क्रियाविधि होगी:—

"निर्यातकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कोटा पृष्ठांकन और निर्यात प्रमाणपत्र को जारी करने के लिये अन्य पोतलदान दस्तावेज के साथ सीमाशुल्क कार्यालय में विधिवत नोट कर लिये गये पोतलदान बिलों को सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई और देहाती पत्तनों को प्रस्तुत करें । परिषद का प्राधिकृत प्रतिनिधि पोतलदान दस्तावेजों पर कोटा पृष्ठांकन देगा और सम्बद्ध निर्यातकों को निर्यात प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। निर्यातकों के लिये स्वीडन में अपने आयातक के पास हुए प्रमाणपत्र को भेजना आवश्यक

होगा जिससे कि नियत स्थान पर प्रेषण की निकासी प्राप्त की जा सके । निर्यातक सभी मामलों में पोत परिवहन बिल की एक अतिरिक्त प्रति तैयार करेंगे जो निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के समय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रख ली जायगी ।

4. कोटा जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई की स्पष्ट लिखित स्वीकृति के बिना कोटे हस्तान्तरित नहीं होंगे ।

5. प्रत्येक 1000 कि०ग्रा०/1000 नगों पर 10/– रुपये का एक अदेय शुल्क सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कोटा जारी करने के लिये उगाहा जायगा जिसकी न्यूनतम 5/- रुपये होगी ।

6. सभी पोतवाणिकों को अलग अलग लाइसेंसों के आधार पर उनको जारी किये गये पोतलदानों के ब्यौरे देते हुये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । ये रिपोर्ट अनुवर्ती महीने की 10 तारीख तक परिषद को पहुंचनी चाहिए ।

7. ईईसी/आस्ट्रिया/स्वीडन सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे :—

(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से संबंधित उत्पन्न हुये विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना और (घ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति समय समय पर उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिये पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ ही साथ लाइसेंस समिति समय समय पर नियम तथा विनिमय बनाने के लिये भी प्राधिकृत है । उसे बिना कोई कारण बताये कोटे को रोकने या रद्द करने या कोटे के लिये आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा ।

8. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर,"
पांचवीं मंजिल,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई-4

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975